सलीम खां बनाम सरकार रा० वाद सं० 69/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिकिशदस्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27 5/14	आज पत्रावली पेश। बहस सुनी गई। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने आवेदन अन्तर्गत O.8, S.C. 92(क) का.टी.ए. एवं 151-152 CPC व धारा 136 LRA के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी जाति का मुसलमान है क्योंकि पिता का नाम नत्थूखां है रिकार्ड में उनका नाम सतपाल कभी नत्थूखां दर्ज होता रहा है। राशन कार्ड व वोटर लिस्ट में अंकित होता रहा है सरवन से नत्थू की बजाय सतू। सतपाल अपभ्रंश होकर दर्ज किया गया है। वादी का नाम सलीम खां पुत्र नत्थू का वास्तविक नाम है। आवंटन के समय नत्थू की बजाय लेखन की भूल से सतू/सतपाल लिखने के कारण राज रिकार्ड में अंकन चला आ रहा है जिससे अन्य बेनामी द्वारा गलत फायदा उठाकर विक्रय की प्रबल संभावना है। वादी मौजा मनोहरिया तहसील लूनकरणसर के ख.नं. 114 मि. हाल 481/114 तादादी 50 बीघा जोत आवंटन 15-12-78 के आधार पर खातेदारी धारण की है। आज तक निरन्तर भौतिक कब्जा काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार वादी के पिता का वास्तविक नाम नत्थूखां इन्द्राज नहीं होने से वादी को खातेदारी जोत खुर्द बुर्द होने का खतरा है। [illegible] की वोटर लिस्ट 1981 के बाद 1995 के क्रम संख्या 281 पर सलीम खां पुत्र [illegible] इस प्रकार रिकार्ड में पिता का नाम दुरुस्ती हेतु दिनांक 6-6-2014 को प्रतिवादी द्वारा इन्कारी	

ह० [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kum
Date: 2022.06.20 18:22:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आज दिनांक से वादी ने वादग्रस्त शामिल इन्द्राज करवा खेती मौजा मनोहरिया के खसरा नं. 481/114 बारानी 50 बीघा में पिता का नाम सतपाल की जगह नत्थूखां इन्द्राज की घोषणा हेतु वाद पेश किया।
	प्रतिवादी को समन जारी किये गये। प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए दावा खारिज हेतु निवेदन किया।
	वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर 4 तनकीयात कायम की गई। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर व संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है जिसे रखा जाकर व्याख्या की गई।
	1. आया कि वादी के पिता का वास्तविक नाम नत्थूखां होने से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पिता का नाम सतपाल के स्थान पर नत्थूखां घोषणा के जरिये दुरुस्त करवाने का हकदार है — वादी
	2 आया राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 6-2 (क) के अनुसार बारानी भूमि आवंटन के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत किया प्रति आवंटन आदेश दिनांक 15-12-1978 अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन तहसीलदार लूणकरणसर द्वारा करना बताया गया है इसलिए वाद [illegible] योग्य नहीं होने के कारण खारिज [illegible] जावे। (राज्य प्रतिवादी)
	3 आया कि आवंटन कानूनी के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता कि वादी द्वारा [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verifi
Digitally signed by Ashok
Date: 2022.06.20 18:22:
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश, के पिता का नाम आवंटन पत्रावली में अंकित किया गया था व आवंटन आदेश में सत्यापन लेखन से गलती हो। धारा 136 LRAct के तहत लिपिकीय भूल वश: हुए इन्द्राज को दुरुस्त किया जा सकता है। अत: साक्ष्य के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं। खारिज योग्य है

जिम्मे प्रतिवादी

4 आया वादी का वाद धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में चलने योग्य नहीं है इसलिये दावा खारिज फरमाया जावे।

जिम्मे प्रतिवादी

5 दादरसी

कायम तनकीयात पर उभय पक्ष को साक्ष्य पेश करने के अवसर प्रदान किये गये। वादीगण तनकी संख्या 1 के समर्थन में नकल छाया प्रति आवंटन आदेश 15.12.78, नकल वोटर लिस्ट, तस्दीक ग्राम पंचायत बेडरन, शपथ पत्र वादी, पत्र अनुबन्ध किराया, जमाबन्दी सम्वत 2061-2064 ग्राम कनोहरिया खसरा 48/114 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2065-2068 की प्रमाणित प्रति पेश की। वोटर लिस्ट 1988 पेश की।

प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रदर्श नहीं करवाया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस वादी की बहस है कि आवंटन आदेश 15.12.78 में लेखन से वादी के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Ku
Date: 2022.06.20 18:22:04 I
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आज्ञा जिसके द्वारा हुक्म की तामील की
	नाथूराम की बजाय सतपाल दर्ज होगया तथा इसी अनुसार रिकार्ड मे पिता का नाम सतपाल दर्ज चला रहा है जबकि वादी के सभी दस्तावेज मे पिता का नाम सतपाल की बजाय नाथूराम दर्ज है अतः प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम सतपाल के स्थान पर नाथूराम दुरस्त करवाया जावे। वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर मे पेरोकार राज का कथन है कि वादी द्वारा आवंटन आदेश 1978 की छाया प्रति पेश की है जिसमे आवंटन अधिकारी तहसीलदार, लूणकरणसर द्वारा जारी किया गया है जबकि आवंटन नियम 1970 मे कारानी भूमि आवंटन के अधिकार उपखण्ड को प्रदत्त है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है। वादी द्वारा आवंटन आदेश की छाया प्रति पेश की है जबकि कुल फाईल की प्रमाणित प्रति पेश की जानी चाहिये थी। वास्तविकता यह है कि आवंटन के समय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे पिता का नाम सतपाल ही अंकित किया गया था। धारा 136 LRA के तहत लिपिकीय भूल सुधारा जा सकता है। वादी का दावा संधारण योग्य नहीं है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी के पिता का नाम	

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kum
Date: 2022.06.20 18:22:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामुनासिब ही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात [illegible], तहसील सरपंच मण्डल के अनुसार वादी के खिलाफ का नाम नामुमकिन अंकित है। इसके उपरान्त पत्रावली का अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी के आवश्यक [illegible] के खिलाफ का नाम खातेदार ही अंकित है। नाम [illegible] प्रस्तुत या जानबूझ कर हेतु राजस्व रिकार्ड पेश किया जाकर वाद को साबित करने का भार वादी पर होता है। वादी द्वारा वाद साबित नहीं कर पाये हैं। अतः वाद वादी पक्ष साक्ष्य के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खारिजी निर्णय के मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षों डिक्री जारी हो। निर्णय आज दि० [illegible].2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:22:04 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी,** लूनकरनसर

ब इजलास : अशोक कुमार, **आरएएस**

सलीम खां **बनाम** सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88, 92क आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 69 /2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादीगण वकील श्री श्यामदीन पड़िहार** , मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी द्वारा वाद साबित नहीं कर पाये हैं। अतः वादवादी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चलने योगय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.05.**2022** को डिक्री जारी की गई।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:22:04 IST
Reason: SelfAttested